महत्वपूर्ण एवं खास

पर्याप्त यात्री संख्या उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 31 तक रद्द

रायपुर (आरएनएस)। पर्याप्त यात्री संख्या उपलब्ध नहीं होने के कारणअबिकापुर एवं जबलपुर तथा नागपुर एवं रायपुर रेल मंडल मध्य चलने वाली मेमू स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रद्द की जा रही है । इसी प्रकार कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर छत्तीसगढ़ राज्य में की जा रही लॉक डाउन के मद्देनजर डोंगरगढ़ एवं रायपुर के मध्य चलने वाली मेमू स्पेशल का परिचालन 13 से 31 मई' तक रद्द रहेगी ।

रद्द होने वाली इन ट्रेनें इस प्रकार है –

- 01265 जबलपुर-अम्बिकापुर, स्पेशल एक्सप्रेस दिनांक 13 मई' 2021 से आगामी आदेश तक रद्द रहेगी ।
- 01266 अम्बिकापुर-जबलपुर, स्पेशल एक्सप्रेस दिनांक 14 मई' 2021 से आगामी आदेश तक रद्द रहेगी ।

मेमू स्पेशल का परिचालन रद्द किया गया –

- 08709 रायपुर-डोंगरगढ़, मेमू स्पेशल दिनांक 13 से 30 मई 2021 तक इस गाड़ी का परिचालन रद्द रहेगी ।
- 08710 डोंगरगढ़-रायपुर, मेमू स्पेशल दिनांक 14 से 31 मई 2021 तक इस गाड़ी का परिचालन रद्द रहेगी ।
- 08746 रायपुर-गेवरा रोड, मेमू स्पेशल दिनांक 13 से 30 मई' 2021 तक इस गाड़ी का परिचालन रद्द रहेगी ।
- 08745 गेवरा रोड-रायपुर, मेमू स्पेशल दिनांक 14 से 31 मई' 2021 तक इस गाड़ी का परिचालन रद्द रहेगी ।
- 08861 गोंदिया-झारसुगुड़ा, मेमू स्पेशल दिनांक 13 से 30 मई' 2021 तक इस गाड़ी का परिचालन रद्द रहेगी ।
- 08862 झारसुगुड़ा-गोंदिया, मेमू स्पेशल दिनांक 14 से 31 मई' 2021 तक इस गाड़ी का परिचालन रद्द रहेगी ।

रमन सिंह ने छग में अव्यवस्था व ऑनलाइन शराब की बिक्री पर राहुल गांधी पर कसा तंज

○ कहा-छग की बदहाली और अव्यवस्था भी आपको दिखती

रायपुर (आरएनएस)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ में बदहाली और अव्यवस्था तथा ऑनलाइन शराब की बिक्री को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा है। डा. सिंह ने राहुल गांधी से कहा कि छत्तीसगढ़ भी इसी देश का हिस्सा है, काश आपको यहां की बदहाली और अव्यवस्था भी दिखती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टेस्टिंग के लिए लाइन, अस्पताल के लिए लाइन, ऑक्सीजन के लिए लाइन, इंजेक्शन के लिए लाइन और वैक्सीन के लिए भी लाइन, बस दारू ऑनलाइन है। उन्होंने कहा कि यहीं है कांग्रेस की पहचान।

2 चितलों का शिकार के मामले में 16 शिकारी गिरफ्तार, हुई वन अधिनियम के तहत कार्रवाई

रायपुर (आरएनएस)। गरियाबंद जिले में 2 चितलों के शिकार मामले में पुलिस ने 16 शिकारियों को पकड़ा है। यह इनमें से एक आरोपी को तीर धनुष के साथ पकड़ा है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि तौरंगा वन परिक्षेत्र में दो चितलों का शिकार गया था। वन विभाग की टीम ने शनिवार को चितलों का शव बरामद किया। जिसके बाद दोनों चितलों का अंतिम संस्कार भी किया गया। वहीं आज 16 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि तौरंगा वन परिक्षेत्र दो चितलों का शिकार किया गया था। वन विभाग की टीम ने शनिवार को चितलों का शव बरामद किया। जिसके बाद दोनों चितलों का अंतिम संस्कार भी किया गया। वहीं आज 16 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

राज्य में संक्रमण दर में बड़ी गिरावट, अब 15 फीसदी रह गई, नए संक्रमितों की संख्या भी 10 हजार से नीचे आई

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में कोरोना-नियंत्रण के लिए किए गए प्रभावी उपायों के परिणामस्वरूप राज्य में संक्रमण-दर तेजी से नीचे आ रही है। 11 मई 2021 को यह घटकर 15 फीसदी रह गई है। इसी तरह नये संक्रमितों आ आंकड़ा भी तेजी से घटता हुआ अब 10 हजार से भी नीचे आ चुका है। प्रदेश में टेस्ट सुविधाएं बढ़ने के साथ ही, संक्रमितों की जांच में भी बढ़ोतरी हुई है। 11 मई को ही 42 हजार 750 टेस्ट के लक्ष्य के विरुद्ध 63 हजार 811 टेस्ट किए गए थे, जिसमें 9 हजार 717 लोग ही पाजिटिव पाए

गए। कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रतिदिन करीब 40 हजार के लक्ष्य से अधिक 60 हजार लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। 11 मई को प्रदेश में 63 हजार 811 लोगों की जांच की गई जिसमें से 8 हजार 540 आरटीपीसीआर टेस्ट, 6 हजार 305 टूऩॉट टेस्ट तथा 48 हजार 966 रेपिड एंटीजन टेस्ट शामिल है। इसमें कुल 9 हजार 717 लोग पॉजिटिव आए है। इस तरह राज्य की पाजिटिविटी दर भी अब घटकर 15 रह गई है।

यदि हम दुर्ग संभाग के जिलों की बात करें तो यहां 11 मई को दुर्ग जिले में 3 हजार 127 सैम्पल टेस्ट में 229 लोग पाजिटिव आए और संक्रमण दर 7 प्रतिशत रही। इसी तरह राजनांदगांव में 2 हजार 307 लोगों की जांच में 277 लोग पाजिटिव, 12 प्रतिशत पाजिटिविटी दर, बालोद जिले में 1 हजार 278 लोगों की जांच 225 पाजिटिव, 18 प्रतिशत पॉजिटिविटी दर, बेमेतरा जिले में 781 सैम्पलों की जांच में 88 पाजिटिव, 11 प्रतिशत पाजिटिविटी दर, तथा कबीरधाम जिले में 2 हजार 28 सैम्पलों की जांच में 324 सैम्पल पाजिटिव और यहां संक्रमण दर 16 प्रतिशत रही है।

इसी तरह रायपुर संभाग के अंतर्गत 11 मई को रायपुर जिले में 4 हजार 191 सैम्पलों की जांच की गई जिसमें 509 सैम्पल पाजिटिव आए और यहां पाजिटिविटी दर 12 रही वहीं धमतरी जिले में एक हजार 142 लोगों की जांच में 252 लोग पाजिटिव और संक्रमण दर 22 प्रतिशत, बलौदाबाजार जिले में 2 हजार 567 में से 410 पाजिटिव और पाजिटिविटी दर 16 प्रतिशत, महासमुंद जिले में 2 हजार 23 में से 270 पाजिटिव और पाजिटिविटी दर 13 प्रतिशत तथा गरियाबंद जिले में 782 में से 121 पाजिटिव और पाजिटिविटी दर 15 प्रतिशत रही।

बिलासपुर संभाग के अंतर्गत बिलासपुर जिले में 2 हजार 462 में से 566 पाजिटिव और पाजिटिविटी दर 23 प्रतिशत, रायगढ़ जिले में 2 हजार 293 में से 847 पाजिटिव और पाजिटिविटी दर 37 प्रतिशत, कोरबा जिले में 3 हजार 533 में से 507 पाजिटिव और पाजिटिविटी दर 14 प्रतिशत, जांजगीर-चांपा जिले में 2 हजार 367 में से 534 पाजिटिव और पाजिटिविटी दर 23 प्रतिशत, मुंगेली जिले में 2 हजार 874 में से 563 पाजिटिव और पाजिटिविटी दर 20प्रतिशत तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में 1 हजार 288 में से 284 पाजिटिव और पाजिटिविटी दर 22 प्रतिशत रही।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ब्लैक फंगस के संक्रमण को गंभीरता से लिया

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में ब्लैक फंगस के संक्रमण होने की जानकारी को गंभीरता से लिया है, उन्होंने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ब्लैक फंगस के उपचार के लिए सभी जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिये हैं।

बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में ब्लैक फंगस का संक्रमण होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। जिसके रोकथाम हेतु पोसाकोनाजोल एवं एम्फोटेरीसीन-बी दवाइयों की जरुरत होती है, जिसकी नियमित एवं विधिवत् आपूर्ति किया जाना अतिआवश्यक है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के परिपालन में छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक ने सभी जिलों में पदस्थ ड्रग इंस्पेक्टर को अपने जिलों में औषधि पोसाकोनाजोल एवं एम्फोटेरीसीन-बी (समस्त डोसेज फॉर्म, टेबलेट, सीरप, इंजेक्शन एवं लाइपोसोमल इंजेक्शन) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये हैं।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन नियंत्रक ने औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया है, कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र के भीतर समस्त होलसेलर, स्टॉकिस्ट, सीएंडएफ से उक्त औषधियों की वर्तमान में उपलब्ध मात्रा की जानकारी प्रतिदिन प्राप्त करें। औषधि निरीक्षक अपने क्षेत्र के सभी औषधि प्रतिष्ठानों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करें।

ऑनलाईन डिलवरी के नाम पर दुकान में बुलाकर दे रहे हैं शराब

भिलाई/रायपुर (आरएसएस)। प्रदेश में पिछले एक महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है। लाकडाउन में शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पिछले 10 मई से शराब की ऑनलाईन बिक्री का आदेश जारी किया था। पूरे प्रदेश में शराब की आनलाईन बिक्री हो रही है।

ऑनलाईन शराब के लिए गूगल प्ले स्टोर में इससे संबंधित ऐप को एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल किया जा सकता है और मोबाइल के माध्यम से भी बुकिंग की जा सकती है। ग्राहक को अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पूर्ण पता दर्ज कर पंजीयन करना होता है। पंजीयन ओटीपी के माध्यम से कन्फर्म होता है। पंजीयन के बाद ग्राहक को लॉगिन करना होगा और उसके बाद इसमें अपने जिले के निकट की एक विदेशी शराब दुकान, एक देसी तथा एक प्रीमियम शराब दुकान को लिंक करने की सुविधा प्रदान की गई है. जिससे ग्राहक आसानी से निकट के दुकान का चयन कर सकता है. चयनित दुकान से शराब घर पर आपूर्ति के लिए बुक की जा सकती है। ग्राहक अपनी पसंदीदा शराब की बुकिंग भी कर सकते हैं। बुकिंग के पश्चात ग्राहक ऑनलाईन पेमेंट गुगल प्ले, पेटीएम अथवा एटीएम डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। यह सुविधा एप में दी गई है। लेकिन विडंबना है कि ऑनलाईन शराब बुक होने के बाद होम ऑन डिलवरी नहीं की जा रही है बल्कि ग्राहकों को अलग से बुलाकर शराब प्रदान की जा रही है। जिससे ग्राहकों में काफी रोष है।

ट्विनसिटी के कुछ ग्राहकों ने आरएनएएस को बताया कि हमने एप के माध्यम से आनलाईन शराब आर्डर की थी जिसकी डिलवरी भी आनलाईन आनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर हमें फोन करके बुलाया जा रहा है और शराब दी जा रही है। जिससे ग्राहक काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि जब सारी व्यवस्थाएं पूरी नहीं हुई थी तो आनलाईन शराब क्यों बेची जा रही है। क्या आनलाईन डिलवरी करने के लिए सरकार के पास कोई डिलवरी ब्वाय नहीं है। हम शराब के पैसे तो आनलाईन दे रहे हैं तो हमें शराब होम ऑन डिलवरी क्यों नहीं की जा रही है। सुपेला के कुछ क्षेत्रों में भी ऐसा नजारा देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों ने बताया कि हमारा पैसा सीएसएमसीएल के एप्प में फंसा हुआ है इसलिए हमें मजबूरन हमें शराब के लिए जहां बुलाया जा रहा है वहां जाना पड़ रहा है। ग्राहकों का कहना है कि प्रशासन इस पर तुरंत संज्ञान ले।

स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बैकुंठपुर में वायरोलॉजी लैब का किया लोकार्पण

» छत्तीसगढ़ में शासकीय क्षेत्र का दसवां वायरोलॉजी लैब, सरगुजा संभाग में अंबिकापुर के बाद अब बैकुंठपुर में भी आरटीपीसीआर जांच की सुविधा

रायपुर (आरएनएस)। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में कोरोना सैंपलों की आरटीपीसीआर जांच के लिए वायरोलॉजी लैब का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस नए लैब को मिलाकर अब प्रदेश के दस शासकीय लैबों में आरटीपीसीआर जांच की सुविधा हो गई है। इससे रोजाना आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढ़ने के साथ ही लोगों को रिपोर्ट भी जल्दी मिलने लगेगी। बैकुंठपुर में वायरोलॉजी लैब की शुरूआत के साथ ही सरगुजा संभाग में कोरोना सैंपलों की आरटीपीसीआर जांच के लिए अब दो केन्द्र हो गए हैं। वहां अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में पहले से ही आरटीपीसीआर जांच की सुविधा है। बैकुंठपुर वायरोलॉजी लैब के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री एवं कोरिया जिले के प्रभारी डॉ. शिवकुमार डहरिया, संसदीय सचिव डॉ. अंबिका सिंहदेव, सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, विधायक गुलाब कमरो और डॉ. विनय जायसवाल भी शामिल हुए।

स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने बैकुंठपुर में नवनिर्मित वायरोलॉजी लैब का उदघाटन करते हुए कहा कि यह

मेडिकल कॉलेजों से इतर जिला मुख्यालय में स्थापित प्रदेश का पहला वायरोलॉजी लैब है। इसका संचालन जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन किया जाएगा। वायरोलॉजी लैब से कोरोना संक्रमण की बेहतर जांच कम समय में ही स्थानीय स्तर पर हो जाएगी। इस नई सुविधा से कोरोना संक्रमितों की पहचान और उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराने में तेजी आएगी। श्री सिंहदेव ने आज अंतरराष्ट्रीय नर्सेस दिवस पर वैश्विक महामारी कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में समर्पण के साथ काम कर रहीं प्रदेश भर की नर्सों की सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नर्सें हमारी अग्रिम पंक्ति की योद्धा हैं जो मरीजों का जीवन बचाने और उनकी सेहत में सुधार के लिए लगातार काम कर रही हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री एवं कोरिया जिले के प्रभारी डॉ. शिवकुमार डहरिया ने बैकुंठपुर में वायरोलॉजी लैब और ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दूरस्थ अंचल में इनकी स्थापना से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा।

सूने मकान का ताला तोड़कर,1 लाख 50 हजार के गहने व नगदी चोरी,अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज

दुर्ग (आरएनएस)। पति की मृत्यु के बाद मायके में रह रही महिला के घर का ताला तोड़कर चोरों ने नगदी सहित 1 लाख 50 हजार के गहने चोरी कर लिये। घटना की रिपोर्ट मोहननगर थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 21 मकान नंबर 1186 कबीर आश्रम के पास आशानगर दुर्ग निवासी शर्मिस्ठा मुखर्जी 56 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 09 अप्रैल को प्रार्थिया के पति का तबियत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती किया था जहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद से प्रार्थिया अपने मकान में ताला लगाकर मायके में रह रहती है। 10 मई को शाम 07 बजे पड़ोसी ने फोन पर जानकारी दी की किसी ने मकान का ताला तोड़ दिया है। जिसके बाद मायके से अपने घर पहुंची तब मेनगेट व कमरे का ताला टुटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखने पर आलमारी खुला मिला व उसमें रखा सोने का जेवर नेकलेस,अंगुठी,बच्चे का हार,चैन,कंगन ,सोने का सिक्का सहित 4000 रुपये नगदी कुल 1 लाख 50 हजार रुपये के गहने किसी ने चोरी कर लिया है। घटना की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ धारा 380,457 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

कोरोना लॉक डाउन में मासिक पेंशन से छत्तीसगढ़ के हजारो पेन्शनर वंचित

रायपुर (आरएनएस)। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बैंको के लापरवाही के कारण शासकीय सेवा से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर और परिवार पेन्शनर भी मार्च और अप्रेल 21 के पेंशन से वंचित हैं और खातेदार बैंक पेंशन भुगतान नही होने के लिये अधिकृत नोडल बैंक भारतीय स्टेट बैंक स्थित सेन्ट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल गोविंदपुरा भोपाल को जिम्मेदार ठहरा कर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं। पेंशन से वंचित पेन्शनरों के पास जानकारी प्राप्त करने की कोई अन्य कार्यप्रणाली की जानकारी नही होने से कोरोना लॉक डाउन में मायूस होकर चुप बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।

राज्य के पेंशनरों को हो रही आर्थिक परेशानियों को लेकर रिजर्व बैंक आफ इंडिया को भी ट्यूट कर इस लापरवाही पर जवाबदेही तय करने और कार्यवाही करने की मांग की गई हैं।

जारी विज्ञप्ति में फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने आगे बताया गया हैं कि इसी काम मे लगे एक जिम्मेदार बैंक अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पेंशन भुगतान में विलम्ब का मुख्य कारण पेंशनरों द्वारा बैंक शाखाओं में जीवन प्रमाण जमा नही किया जाना बताया जा रहा है। जबकि लगभग सभी पेंशनरों द्वारा प्रमाणपत्र जमा कर दिया गया है और अब पावती प्रस्तुत करने पर सर्टिफिकेट बाउंस होने की बात कहकर पुनः लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को कहा जा रहा है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि देश मे कुछ बैंको के आपस में संविलियन की प्रक्रिया से नए कोड के निर्धारण होने के कारण मुम्बई और भोपाल के बीच तालमेल में कमी होने से मार्च 2021से मासिक पेंशन खाते में जमा होने में विलम्ब हुआ है और उसके बाद कोरोना लॉक डाउन में बैंक का बन्द रहना भी देरी का कारण बताया जा रहा है।

बैंक अधिकारी के अनुसार संविलियन से सम्बंधित सम्पूर्ण कार्यवाही स्टेट बैंक मुख्यालय मुम्बई स्थित सेंट्रल पेन्शन प्रोसेसिंग सेंटर से होता है जिसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी गोविंदपुरा भोपाल में स्थापित सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेल स्टेट बैंक से संधारित होती हैं।भोपाल से जारी दिशा निर्देश के अनुरूप आगे की कार्यवाही छत्तीसगढ़ के बैंको में संचालित होती है। मुम्बई और भोपाल के बीच की प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ उलझा हुआ है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य तथ्य में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

मुख्यमंत्री ने वर्षा ऋतु के पहले समितियों से धान का उठाव करने के दिए निर्देश

» खरीफविपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित 92 लाख मीट्रिक टन धान में से अब तक 75.59 लाख मीट्रिक टन धान का हुआ उठाव

» लगभग 50.41 लाख मीट्रिक टन धान समितियों से मिलर्स को कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्षा ऋतु के पूर्व समितियों से धान का उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तारतम्य में विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों से उपार्जित धान का निराकरण तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित 92 लाख मीट्रिक टन धान की रिकार्ड मात्रा में से अब तक 75.59 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है एवं 16.41 लाख मीट्रिक टन धान ही समितियों में उठाव हेतु शेष है, जिसका वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व उठाव करने का लक्ष्य विभाग द्वारा तय किया गया है। राज्य में समितियों में शेष धान का कस्टम मिलिंग हेतु मिलर्स द्वारा निरंतर उठाव जारी है। साथ ही समितियों से परिवहन के माध्यम से भी धान का निरंतर उठाव किया जा रहा है। इसके अलावा अतिशेष धान की नीलामी की कार्यवाही सतत् रूप से प्रक्रियाधीन होने के फलस्वरूप सफल क्रेताओं द्वारा भी धान का लगातार उठाव किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को धान उपार्जन की अनुमति देने में विलम्ब, बारदानों की अनुपलब्धता, पुराने बारदानों के उपयोग की अनुमति में विलम्ब और लॉकडाउन के कारण विभिन्न जिलों में समितियों से धान उठाव व इसके कस्टम मिलिंग कार्य की गति प्रभावित हुई।

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित रिकॉर्ड 92.00 लाख मीट्रिक टन धान में से अब तक लगभग 50.41 लाख मीट्रिक टन धान समितियों से मिलर्स को कस्टम मिलिंग हेतु एवं लगभग 20 लाख मीट्रिक टन धान संग्रहण केन्द्रों को प्रदाय किया जा चुका है। इसके अलावा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 10.72 लाख मीट्रिक टन अतिशेष धान में से लगभग 9.09 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी हो चुकी है, जिसमें से 5.18 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव क्रेताओं द्वारा समितियों से किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में 1 दिसबंर 2020 से धान का उपार्जन प्रारंभ हुआ था और माह दिसंबर 2020 में ही उपार्जित धान का समितियों से उठाव प्रारंभ करं नागरिक आपूर्ति निगम के लक्ष्य अंतर्गत धान की कस्टम मिलिंग भी प्रारंभ कर दी गई थी।